

परिक्षेत्रीय कार्यालय, परिक्षेत्र बस्ती



प्रेस नोट
दिनांक – 27-07-2026

- डीआईजी बस्ती द्वारा परिक्षेत्र के जनपदों के पुलिस अधीक्षकगण के साथ की गयी मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी।
- सम्बन्धित को दिये आवश्यक दिशा-निर्देश।

आज दिनांक 27.07.2026 को परिक्षेत्रीय कार्यालय बस्ती के सभागार में पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती श्री संजीव त्यागी द्वारा परिक्षेत्र के जनपद बस्ती, सिद्धार्थनगर एवं संतकबीरनगर के पुलिस अधीक्षक के साथ मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी की गयी। डीआईजी बस्ती द्वारा गोष्ठी के दौरान लंबित विवेचनाओं/आंशिक विवेचनाओं का प्राथमिकता के आधार पर समयान्तर्गत शीघ्र निस्तारण कराने, अधिकाधिक निरोधात्मक कार्यवाही कराने, गैंगेस्टर एक्ट, वांछित, पुरस्कार घोषित, जिला बदर, NBW अभियुक्तों की शत-प्रतिशत गिरफ्तारी कराने, चोरी तथा वाहन चोरी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण कराने, गो-तस्करी की प्रभावी रोकथाम, संगीन अपराध, महिला अपराध एवं एससी/एसटी, पाक्सो एक्ट से संबंधित मामलों में त्वरित प्रभावी कार्यवाही कराने, प्रत्येक विवेचक का SID जनरेट कराने, जनपद स्तर पर साइबर एक्शन प्लान के तहत कार्यवाही कराने, यक्ष ऐप पर शेष अपराधियों का सत्यापन शीघ्र पूर्ण कराने, बीट सूचनाओं में थाना प्रभारी/क्षेत्राधिकारीगण से टिप्पणी अंकित कराने, मिसिंग डेटा पूर्ण कराने, साइबर अपराध, CCTNS, IGRS, NCRB, कर्मयोगी पोर्टल CM डैशबोर्ड, JMIS आदि पोर्टलों की निरन्तर निगरानी कराते हुए आवश्यक कार्यवाही कराने, पब्लिक ग्रीवांस रिव्यू पोर्टल, मुख्यमंत्री जनता दर्शन एवं अन्य उच्चस्तरीय शिकायत पोर्टलों पर प्राप्त प्रार्थना-पत्रों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराने, साइबर अपराध से सम्बन्धित मोबाइल/IMEI नम्बर अधिकाधिक ब्लॉक कराने, ICJS, NAFIS, CEIR व अन्य सभी पोर्टलों का नियमित उपयोग व फीडिंग कराने, i RAID ऐप पर सभी दुर्घटनाओं की फीडिंग कराने, महिला अपहृत/गुमशुदा की शत प्रतिशत बरामदगी कराने, 14(1) गैंगेस्टर एक्ट व 107 BNSS के तहत संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही कराने, अधिकाधिक एमाउन्ट लीन कराने, गैंगेस्टर एक्ट के अभियोगों के निस्तारण व गुण्डा एक्ट के तहत जिला बदर व धारा 10 के तहत कार्यवाही कराने, वर्तमान में चल रहे अभियानों आपरेशन मजनु, पुरस्कार घोषित अभियुक्तों की गिरफ्तारी आदि के तहत कार्यवाही कराने, ITSSO पोर्टल पर 45 दिवस से अधिक लंबित अभियोगों का शीघ्र निस्तारण कराने, आपरेशन साईवज्र में प्रभावी कार्यवाही कराने, GRM व MRM पोर्टल पर लंबित शिकायतों का निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

डीआईजी बस्ती द्वारा नियम 14(1) एवं 14(2) के अंतर्गत लंबित विभागीय पत्रावलियों, प्रारम्भिक जाँच, मृतक आश्रित सेवायोजन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने, कम्यूनिटी पुलिसिंग यूनिट द्वारा विकलांग व्यक्तियों से संपर्क कर संवाद करने तथा सूची तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया। ZFD योजना के तहत यातायात/सड़क दुर्घटना के रोकथाम हेतु विस्तार से जानकारी देकर सभी को ट्रेफिक एक्शन प्लान तैयार कर कार्यवाही कराने, ड्रम्स के सम्बन्ध में एक्शन प्लान तैयार कर कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक बस्ती डॉ० यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ० अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना व परिक्षेत्रीय कार्यालय के शाखा प्रभारीगण / कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

मीडिया सेल
परिक्षेत्र बस्ती